न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 51/2022

श्री हरीश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मणलाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम राजियावास, हाल निवासी गणपति डीलर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक – 23.12.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2079 में श्री हरीश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मणलाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम राजियावास, हाल निवासी गणपति डीलर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ने ग्राम नरबदखेड़ा के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.4694 हैक्टर में से रकबा 0.0405 हैक्टर किस्म बा0 1 पर कच्ची पत्थरों की दीवार बनाकर व कांटो की बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 46/2022 पंजीकृत कर वाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 28.04.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही कब्जे पर फसल/पत्थर आदि सामग्री पड़ी हो तो जब्त कर नीलामी करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 28.04.2022 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोडेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा ऐतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना तथा पटवारी हल्का के बयानों को क्रॉस करने का अवसर प्रदान नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से गलत एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है जबकि कानूनन एकतरफा रिपोर्ट साक्ष्य में कतई ग्राह्य नहीं है एवं एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों के विपरीत आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया था परन्तु अपीलान्ट के जवाब पर विचार एवं विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है। उन्होंने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व कानूनी प्रावधानों को पूर्ण विवेचन किये बिना साईक्लोस्टाईल निर्णय पारित किया गया है जो विधिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों, कानूनी प्रावधानों को अनदेखा करते हुए न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये बिना निर्णय पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि ग्राम नरबदखेड़ा में सिवायचक आराजियात पर ग्राम के कई व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है किन्तु पटवारी हल्का द्वारा दुर्भावनापूर्वक केवल अपीलान्ट के विरूद्ध ही कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज चला आ रहा है। अतः बेदखली की कार्यवाही किये जाने के बजाय नियमानुसार शुल्क जमा कर विवादित आराजी का अपीलान्ट के पक्ष में नियमन किया जाना चाहिये। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा कच्ची पत्थरों की दीवार बनाकर व कांटो की बाड़ लगाकर सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में बा0 1 दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट ने स्वयं को पश्चातवर्ती अतिचारी बताते हुए विवादित भूमि का नियमन उनके पक्ष में करने का निवेदन किया है किन्तु इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हे अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, सरासर गलत एवं तथ्यों से परे है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट स्वयं उपस्थित हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से कच्ची पत्थरों की दीवार बनाकर व कांटो की बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया गया है। विवादित आराजी की किस्म राजस्व अभिलेख

अपर कलक्टर
अजमेर

में बा0 1 दर्ज है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 23.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर,अजमेर